

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक:- 542 / 11-सी-FP/UP/Others/49746/2020, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 13, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- उत्तर खीरी वन प्रभाग/बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी के अंतर्गत इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० द्वारा पलिया-त्रिकौलिया-खजुरिया मार्ग (एस०एच०-101) किमी० नं०-117, चैनेज सं०-117.800 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-193 स्थित ग्राम-पैड़िया, थाना-सम्पूर्णनगर, तहसील-पलिया, जिला-खीरी में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.04674 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/२४/२०२२/एफ०सी०/८१, दिनांक 10.05.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी का पत्रांक-56/15-1, दिनांक 03.07.2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी के उपरोक्त पत्रांक-56/15-1, दिनांक 03.07.2025 द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 08.08.2025 को अपलोड कराकर प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृति (Stage-II) निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
Digitally signed by
Lalit Kumar Verma
Date: 12-08-2025
21:04:07
(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 542 / 11-सी-FP/UP/Others/49746/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, उत्तर खीरी वन प्रभाग/बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत प्रकरण के अद्यतन स्थिति को वन विभाग के वेबसाइट पर बनाये गये पोर्टल पर Proposal का विवरण अपडेट करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी।
2. वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० (एम०डी०), 35ए, सिविल लाइन्स, कमला नेहरू मार्ग, बरेली-243001।

आज्ञा से
(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

P-170

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी

पत्रांक:- 56 / 15-1 (Petrol Pump/49746/2020) दिनांक, लखीमपुर-खीरी, जुलाई, 03 / 2025
सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- उत्तर खीरी वन प्रभाग/बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० द्वारा पलिया-त्रिकौलिया-खजुरिया मार्ग (एस०एच०-101) किमी० नं०-117, चैनेज सं०-117.800 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-193 स्थित ग्राम-पैड़िया, थाना-सम्पूर्णानगर, तहसील-पलिया, जिला-खीरी में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.04674 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (Proposal No. FP/UP/Others/49746/2020)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज, लखनऊ के कार्यालय की पत्र सं०- 8बी/यू०पी०/०६/२४/२०२२/एफ.सी./८१ दि० १०.०५.२०२२ पर आपके कार्यालय की पत्र सं०- ३१७६/११-सी-FP/UP/Approach/49746/2020 दि० ११.०५.२०२२

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक १०.०५.२०२२ के माध्यम से कतिपय शर्तों के अधीन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज, लखनऊ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गयी शर्तों का प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन किया गया है। उक्त के क्रम में उप निदेशक (बफर जोन), दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, लखीमपुर-खीरी द्वारा अपने कार्यालय की पत्र संख्या- ४४/३७-१ (FP/UP/Others/49746/2020) दिनांक ०२.०७.२०२५ के माध्यम से वचनबद्धता प्रमाण-पत्रों की ०२ प्रतियाँ इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी हैं।

अतः उप निदेशक (बफर जोन), दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, लखीमपुर-खीरी द्वारा उपलब्ध कराये गये वचनबद्धता प्रमाण-पत्रों की दो प्रतियों में से ०१ प्रति मूल में संलग्न कर आपकी सेवा में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(डा० एच० राजामोहन)

मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर
दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी

BY E-MAIL ONLY

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. उप निदेशक (बफर जोन), दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी को उनकी पत्र संख्या- ४४/३७-१ (FP/UP/Others/49746/2020) दिनांक ०२.०७.२०२५ के क्रम में।
२. वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० (एम०डी०), ३५ए, सिविल लाइन्स, कमला नेहरू मार्ग, बरेली-२४३००१।

(डा० एच० राजामोहन)

मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर
दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी

Adso
cf/Nodal
15/7/25

पत्रांक:- 56 / अ, उक्तदिनांकित।

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन), दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी।**

पत्रांक- 44 / 37-1. (FP/UP/Others/49746/2020) ; दिनांक: लखीमपुर-खीरी: 02/07/2025
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर,
दुधवा टाइगर रिजर्व,
लखीमपुर-खीरी।

विषय :- उत्तर खीरी वन प्रभाग/बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा पलिया-त्रिकौलिया-खजुरिया मार्ग (एस०एच०-101) किमी० नं०-117 चैनेज सं०-117.800 के मध्य दांयी पट्टी पर गाटा सं०-193 स्थित ग्राम पैडिया थाना सम्पूर्णनगर तहसील पलिया जिला खीरी में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.04674 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/49746/2020।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ की पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०६/२४/२०२२/एफ.सी./८१ दिनांक 10.05.2022।

महोदय,

सानुरोध अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण में निर्गत सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण से बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्राप्त करके आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नवत् प्रेषित है :-

क्र०सं०	अधिरोपित शर्तों का विवरण	शर्तों के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
01	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
02	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 100 trees in Paliya-Trikoliya-Khajuriya Road SH. 101 in Village Padiya, Range- Sampurnanagar under North Kheri Forest Division/Buffer Zone, Dudhwa Tiger Reserve Lakhimpur Kheri, District Lakhimpur Kheri at the cost of user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
03	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि रू० 3,53,000/- (तीन लाख तिरपन हजार मात्र) दिनांक 04.06.2022 को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उ०प्र० कैम्पा फण्ड में जमा करा दिया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
04	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.04674 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of	एन०पी०वी० हेतु वांछित धनराशि रू० 31,322.34 (रू० इक्तीस हजार तीन सौ बाईस रू० चौतीस

D:\After 23.08.2022\2025-26\VFC\Retail Sales.doc

पंजीकृत सं० 55
शीर्षक 23-1
दिनांक 03-07-2025

	India dated 30/10/2022, 01/08/2023, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566-in WP (C) No. 202/1995 and as per guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2-2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by user agency in this regard.	पैसे मात्र) दिनांक 04.06.2022 को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उ0प्र0 कैम्पा फण्ड में जमा करा दिया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
05	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
06	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वांछित FRA प्रमाण पत्र संलग्न है।
07	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
08	Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
09	User Agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees the same shall be demarcated by 2 feet wall.	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any exiting RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before commencement of works.	वन विभाग के स्तर से ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड करने की वांछित कार्यवाही की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

16	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only thorough e-portal (https://parivesh.nic.in/).	पूर्ण अनुपालन आख्या e-portal (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से अपलोड की जायेगी। वांछित बचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार वांछित धनराशियां ऑनलाइन जमा कराते हुये जमा कराये जाने सम्बन्धी समस्त प्रमाणक, वांछित प्रमाण पत्र एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से प्राप्त कर हार्ड कॉपी 02 प्रतियों में आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(सौरीष सहाय)

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग /
उप निदेशक, बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व,
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक-44 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
2. वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, (एम०डी०) बरेली मण्डल कार्यालय, बरेली।

(सौरीष सहाय)

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग /
उप निदेशक, बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व,
लखीमपुर-खीरी।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तर खीरी वन प्रभाग/बफर जोन,
दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी।

विषय :- उत्तर खीरी वन प्रभाग/बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा पलिया-त्रिकौलिया-खजुरिया मार्ग (एस०एच०-101) किमी० नं०-117 चैनेज सं०-117.800 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-193 स्थित ग्राम पैडिया थाना सम्पूर्णनगर तहसील पलिया जिला खीरी में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.04674 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-**FP/UP/Others/49746/2020**।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ की पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०६/२४/२०२२/एफ.सी./८१ दिनांक 10.05.2022।

महोदय,

सानुरोध अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण में निर्गत सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित है :-

क्र०सं०	अधिरोपित शर्तों का विवरण	शर्तों के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
01	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
02	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 100 trees in Paliya-Trikoliya-Khajuriya Road SH. 101 in Village Padiya, Range-Sampurnanagar under North Kheri Forest Division/Buffer Zone, Dudhwa Tiger Reserve Lakhimpur Kheri, District Lakhimpur Kheri at the cost of user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
03	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि रु० 3,53,000/- (तीन लाख तिरपन हजार मात्र) दिनांक 04.06.2022 को उ०प्र० कैम्पा फण्ड में जमा करा दिया गया है। वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
04	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.04674 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2022, 01/08/2023, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2-2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by user agency in this regard.	एन०पी०वी० हेतु वांछित धनराशि रु० 31,322.34 (रु० इक्कीस हजार तीन सौ बाईस रु० चौतीस पैसे मात्र) दिनांक 04.06.2022 को उ०प्र० कैम्पा फण्ड में जमा करा दिया गया है। वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
05	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।


(संलग्न प्रमाण पत्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व

कुशल त्रिपाठी / KUSHAL TRIPATHI
वरि० प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Sr. Manager (Retail Sales),
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
बरेली मण्डल कार्यालय / Bareilly Divisional Office

06	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	वांछित FRA प्रमाण पत्र संलग्न है।
07	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
08	Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
09	User Agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees the same shall be demarcated by 2 feet wall.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any exiting RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before commencement of works.	वन विभाग के स्तर से ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड करने की वांछित कार्यवाही की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only thorough e-portal (https://parivesh.nic.in/).	पूर्ण अनुपालन आख्या e-portal (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से अपलोड की जायेगी। वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
01	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार वांछित धनराशियां ऑनलाइन जमा कराते हुये जमा कराये जाने सम्बन्धी समस्त प्रमाणक, वांछित प्रमाण पत्र एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।


प्रभागीय वनाधिकारी
 उत्तर खीरी वन प्रभाग/
 उप निदेशक (बफर जोन)
 दुधवा टाइगर रिजर्व
 लखीमपुर-खीरी


(Authorised Signatory)
Indian Oil Corporation Limited,
Divisional Office Bareilly

कुशल त्रिपाठी / KUSHAL TRIPATHI
 वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Sr. Manager (Retail Sales)
 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.सी.)
 Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
 बरेली मण्डल कार्यालय / Bareilly Divisional Office